

वाहन निविदा वर्ष 2026-27

तकनीकी बिन्दु

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पातालदेवी, अल्मोड़ा।

कार्यालय वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

- 01 कार्यालय कार्य :-.....
- 02 निविदादाता का नाम:-.....
- 03 मोबाईल नम्बर:-.....
- 04 निविदादाता का आधार नम्बर:-.....
- 05 निविदादाता के पिता/पति का नाम:-.....
- 06 स्थाई पता:-.....
- 07 पत्राचार का पता:-.....
-
- 08 वाहन का प्रकार:-.....वाहन का परमिट.....
- 09 माडल वर्ष:-.....
- 10 (आर0सी0) वाहन संख्या:-.....
- 11 वाहन स्वामी का नाम:-.....
- 12 वाहन के बीमा की वैधता तिथि:-.....
- 13 रोड टेक्स की वैधता तिथि:-.....
- 14 वाहन फिटनेस की तिथि:-.....
- 15 जमानत धनराशि रूपया:-.....तिथि.....रसीद संख्या.....

(निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 750+135=885.00 जी0एस0टी0 सहित है। यदि निविदा प्रपत्र वैवसाईट से डाउनलोड किया गया है, तो निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 885.00 का बैंक ड्राफ्ट अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है।)

बैंक का नाम.....बैंक ड्राफ्ट संख्या.....धनराशि.....दिनांक.....

मैंने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 अल्मोड़ा द्वारा निविदा हेतु तय की गयी सभी शर्तों को भलि-भाति पढ़ व समझ लिया गया है। मैं दुग्ध संघ अल्मोड़ा के साथ उक्त शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करने के लिए तैयार हूँ। उर्पयुक्त पृविष्टियों मेरे द्वारा स्वयं भरी/भरवायी हैं जो कि मेरी जानकारी में पूर्ण रूपेण सही हैं। यदि कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो संस्था को पूर्णरूपेण अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध को बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दे।

शील्ड निविदा लिफाफे के बाहर ऊपर से कार्यालय कार्य हेतु निविदा नाम अवश्य अंकित किया जाय।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम

पूरा पता.....

मोबाईल नम्बर-

वाहन निविदा वर्ष 2026-27

वित्तीय बिन्दु

अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पातालदेवी, अल्मोड़ा

कार्यालय कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

- 01 कार्य का नाम जिस हेतु निविदा दी जा रही है:—.....
- 02 निविदादाता का नाम:—.....
- 03 वाहन का प्रकार:—.....
- 04 माडल वर्ष:—.....
- 05 वाहन संख्या:—.....
- 06 निविदा दर रूपया (प्रतिमाह):—..... (अंकों में)
(शब्दों में.....)

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम

पूरा पता.....

जो लागू न हो उसे काट दें, अपरलेखन न करें।

अल्मोडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पाताल देवी, अल्मोडा

निविदा फार्म भरने हेतु दिशा निर्देश एवं शर्तें

- 01 निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व प्रपत्र में दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही साफ एवं शुद्ध भाषा में भरें एवं हस्ताक्षर करें।
- 02 एक निविदा प्रपत्र केवल एक कार्य की निविदा हेतु मान्य होगा।
- 03 निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में कमशः तकनीकी बिन्दु एवं वित्तीय बिन्दु को रखते हुए उन्हें एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखकर डाली जाय। तकनीकी बिन्दु की सभी अर्हतायें पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिन्दु का लिफाफा खोला जायेगा।
- 04 कार्यालय कार्य हेतु तीन निविदायों अथवा प्रेक्योरमैन्ट नियमावली के अनुसार प्राप्त होनी आवश्यक है
- 05 एक वाहन के प्रपत्र से एक ही कार्य की निविदा स्वीकृत होगी।
- 06 लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में कार्य का प्रकार कार्यालय कार्य एवं निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
- 07 निविदा फार्म में स्वप्रमाणित पास पोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
- 08 निविदा फार्म निविदा प्रकाशन तिथि दिनांक 15.05.2026 से 25.05.2026 के 1 बजे तक (कार्यदिवसों) में दुग्ध संघ कार्यालय पाताल देवी अल्मोडा से निर्धारित मूल्य (885.00 रुपये मय जी.एस.टी.) जमा कर संस्था कोषागार से प्राप्त किये जा सकते हैं, या यू0सी0डी0एफ0लि0 हल्द्वानी की बेबसाइट www.ucdfaanchal.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये गये निविदा फार्म में मु0 885.00 का बैंक ड्राफ्ट जो अल्मोडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० के नाम हो संलग्न करना आवश्यक होगा
- 09 निविदाएं, प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० अल्मोडा के नाम से रजिस्टर्ड डाक, कोरियर, अथवा निविदा पेटी के माध्यम से दिनांक 25.05.2026 की दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त किये जायेगे तथा प्राप्त निविदाएं 25.05.2026 को अपराहन 1.30 बजे से गठित निविदा कमेटी एवं उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेगी।
- 10 निविदा फार्म के साथ वाहन का प्रकार एवं अधिकतम दरो का उल्लेखित पत्र संलग्न है, अकिंत अधिकतम
- 11 दरो से अधिक निविदा फार्म में दरे पाये जाने पर निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 12 कार्यालय कार्य हेतु वाहन का मॉडल वर्ष 2022 से कम नहीं होना चाहिये, तथा वाहन अच्छी कण्डीशन में होना अनिवार्य है।
- 13 निविदा फार्म के साथ निविदादाता को आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा वाहन के वैद्य प्रपत्र (यथा आर०सी०/बीमा/परमिट/फिटनेस आदि) की छाया प्रति संलग्न होने चाहिये अन्यथा निविदा फार्म निरस्त कर दी जायेगा। निविदा स्वीकृत होने अथवा अनुबन्ध के पश्चात अनुबन्ध की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्रों की वैधता का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
- 14 वाहन निविदादाता के नाम पंजीकृत होना चाहिये। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही पावर ऑफ अटार्नी मान्य होगी।
- 15 वाहन का माडल वर्ष (A/F) मान्य नहीं होगा।
- 16 निविदा फार्म के साथ निविदा फार्म में उल्लेखित वाहन का विवरण के अनुसार वैद्य दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां एवं वाहन हेतु रू० 5,000.00 (पाँच हजार रुपया) बतौर अर्नेस्टमनी /EMD की जमा रसीद की मूल प्रति अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो इस संस्था के नाम देय हो मूलरूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्टमनी हेतु एफ०डी०आर० मान्य नहीं होगी। पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा हेतु मान्य नहीं होगी। अर्नेस्टमनी निविदा पूर्ण होने अथवा एक माह उपरान्त ही प्रदान की जायेगी। निविदा स्वीकृत होने के बाद निविदा स्वीकार न करने पर अर्नेस्ट मनी मु० 5000.00 (पाँच हजार रुपया) जब्त कर ली जायेगी।
- 17 एक अर्नेस्टमनी से एक निविदा ही भरी जायेगी। एक अर्नेस्टमनी राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- 18 दुग्ध संघ से पूर्व मे किसी प्रकार से बाकयेदार/विवाद करने वाले/दुग्ध संघ की छवि धूमिल करने वाले/चोरी में पकड़े गये/मा० न्यायलय में दोषी पाये गये/मा. न्यायलय में संस्था के विरुद्ध लम्बित वाद अथवा अन्य किसी प्रकार से विवादित अथवा दुग्ध संघ कर्मों से दुव्यवहार /मार पीट/गाली गलौच अथवा अनुचित चरित्र वाले निविदा दाता का निविदा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।

- 19 चोरी करते हुए पाये जाने अथवा स्टॉफ से दुव्यवहार करने पर प्रथम दृष्टया 5000.00 रुपये की कटौती की जायेगी तथा जमानत राशि जब्त करते हुए, वाहन संस्था से प्रथक कर दिया जायेगा तथा सदैव के लिये सम्बन्धित को संस्था की काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
- 20 निविदादाता द्वारा निविदा फार्म में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार हो जाने पर किसी भी दशा में उसके प्रतिनिधि अथवा अन्य को हस्तान्तरित नहीं की जा सकेगी।
- 21 प्रत्येक वाहन के लिये चालक की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी तथा उसका पूर्ण विवरण संस्था में लिखित देना होगा। चालक को बदलने पर उसकी पूर्व सूचना लिखित में संस्था को देनी होगी।
- 22 निविदा फार्म में दरो मे किसी प्रकार की ओवर राइटिंग, कटिंग, फलूड, आदि नहीं होनी चाहिये। ओवरराइटिंग, कटिंग तथा फलूड लगाकर भरी गयी निविदा दरें पाये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- 23 निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी तथा जमानत राशि (Performance Security) के रूप में जमानत धनराशि जमा करनी होगी। बोलेरो समकक्ष वाहन हेतु मु० 20000.00 रुपये जमानत जमा करना आवश्यक होगा।
- 24 निविदा स्वीकृत हो जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ रू० 100.00 (एक सौ) मूल्य के नान-जूडिशियल स्टॉप पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
- 25 अनुबन्ध समाप्त तिथि से यदि संस्था चाहे तो अधिकतम तीन-तीन माह हेतु दो बार अनुबन्ध अवधि, निविदा में स्वीकृत दरो पर बढ़ाई जा सकती है, जिसे निविदादाता मानने के लिये बाध्य होगा, अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 26 मार्गों पर लगने वाले करों जैसे पथकर, सेतुकर, आदि का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा किया जायेगा, यदि निविदा उपरान्त मार्ग पर लगने वाले टोल टैक्स (यदि संस्था कार्य हेतु वाहन उपयोग किया गया हो) लगता है तो वह संस्था द्वारा देय होगा।
- 27 निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन निरीक्षण कराने की सूचना दी जायेगी। निविदादाता को निर्धारित तिथि के अन्दर वाहन का निरीक्षण करने हेतु वाहन को दुग्ध संघ कार्यालय में लाना होगा अन्यथा निविदा निरस्त करते हुये अर्नेस्टमनी जब्त कर दी जायेगी। निविदा में दिये गये वाहन को ही चलाना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि दूसरा वाहन भेजना आवश्यक हो तो परिवहनकर्ता को इसकी लिखित सूचना देकर अनुमति लेनी होगी।
- 28 निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्रिक सदस्य (हिस्सा पूंजी 200.00 रुपये एवं प्रवेश शुल्क 25.00 रुपये कुल 225.00 रुपये की जमा कर) बनना होगा।
- 29 संस्था के बकायेदारों की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी और न ही उनके वाहन के प्रपत्रों पर अन्य व्यक्ति की निविदा मान्य होगी।
- 30 वाहन को जिस कार्य हेतु लगाया जायेगा, उसके अतिरिक्त अन्य बाहरी कार्य परिवहनकर्ता को नहीं करने होंगे।
- 31 दैवीय आपदा/दुर्घटना होने पर किसी प्रकार का क्लेम संस्था द्वारा देय नहीं होगा।
- 32 वाहन खराब होने/दुर्घटनाग्रस्त होने/अन्य किन्ही कारण से व्यवधान होने पर निविदादाता को ही वाहन की व्यवस्था करनी होगी, निविदादाता द्वारा वाहन व्यवस्था न करने पर संस्था द्वारा बाजार दरों में वाहन व्यवस्था कर ली जायेगी एवं अतिरिक्त व्ययभार की कटौती निविदादाता के बिल से कर ली जायेगी।
- 33 संस्था द्वारा मार्गों की अधिकतम दर निर्धारित करते हुए निविदा फार्म के साथ संलग्न की जा रही है। संस्था द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से अधिक दर पाये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 34 माह की समाप्ति होने पर परिवहनकर्ता अधिकतम पन्द्रह दिन के अन्दर बिल संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यधिक विलम्ब अथवा एक साथ कई माह का बिल प्रस्तुत करने पर संस्था भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं होगा। वाहन बिल का भुगतान कम से कम 45 दिन बाद देय होगा।
- 35 कार्यालय कार्यों हेतु लगे वाहनो में बोलेरो हेतु 10.00 किमी पर 01 लीटर डीजल प्रदान किया जायेगा।
- 36 वाहन का टैक्सी प्रमाण पत्र, वैध फिटनेस व इन्शोरैन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित चालक का ड्राईविंग लाइसेन्स निविदा फार्म में संलग्न करना आवश्यक है।
- 37 संस्था द्वारा समय समय पर अनुबंधित वाहन से उल्लेखित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिया जा सकता है, जिसको परिवहनकर्ता को करना अनिवार्य होगा।

- 38 कार्य की आवश्यकता के अनुसार अनुबंधित वाहन को किसी भी समय कार्य हेतु बुलाया जा सकता है। जिसे मानने के लिए परिवहनकर्ता बाध्य होगा।
- 39 निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अधीन होगी।
- 40 एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार संस्था के प्रधान प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।

निविदादाता की घोषणा

उक्त शर्तों को मैने भली-भांति पढ़ एवं समझ लिया है, मैं सभी शर्तों को समझने के पश्चात ही निविदा डाल रहा हूँ, जोकि मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर
निविदादाता-

अल्मोडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० अल्मोडा
कार्यालय कार्य हेतु वाहन निविदा

| क्र०स० | कार्य का नाम | वाहन का प्रकार | अधिकतम दर |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | कार्यालय, फिल्ड पर्यवेक्षण कार्य हेतु | बोलेरो | 25000.00 प्रतिमाह |